

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय

तिलक मार्ग, सोस्कोम,
जयपुर 302005,
दिनांक:- 8.10.87

क्रमांक:-वीएस/डीईएस/69/74/15/84/ 36016-42

प्रेषित:-

जिला पीठा,
जिला पीठालय - - - समेत - - -

विषय:- जिला स्तर पर जन्म एवं मृत्यु सम्बन्धी कार्य का समन्वय

महोदय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 24440/व्य0 एवं पं0/गुप-1/76/ दिनांक 27 जुलाई 1987 के द्वारा जिला स्तर पर जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी कार्य में समन्वय एवं सुधार करने का कार्य उक्त विभाग के आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1976 द्वारा गठित सामन्त प्रशासन एवं आवश्यक सेवा समिति को सौंपा गया है और इस समिति के अध्यक्ष समस्त जिलों के क्लर्क बनाये गये हैं। क्लर्क समिति के अध्यक्ष को समिति में अन्य सदस्यों को सहयोजित करने के लिये भी प्राधिकृत किया गया है। अतः कृपया जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण सम्बन्धी कार्य के लिए इस समिति में निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों को सहयोजित करने का कट करे।

- 1- अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी
- 4- जिला जनसम्पर्क अधिकारी
- 5- जिला रसद अधिकारी
- 6- नगरपरिषद/नगरपालिकाओं के अध्यक्ष/अधिशाही अधिकारी।
- 7- जिला सांख्यिकी अधिकारी।

इस समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमासिक पश्चात् अवश्य आयोजित की जावेगी। जिसमें निम्नलिखित कार्य की समीक्षा की जावेगी।
जिले में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 और उसके अधिनियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के क्रियान्वयन का समन्वय पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन करना।
रजिस्ट्रीकरण कार्य के सुधार के लिए उपाय सुझाना।
इस समिति की जब भी बैठक आयोजित की जावे उसकी सूचना निम्नलिखित अधिकारियों को भी अवश्य भिजवाई जाये।

भावदीय,

निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेश
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक:- 8.10.

क्रमांक:-वीएस/डीईएस/69/74/15/84/36043-69

प्रतिरूपि जिला सांख्यिकी अधिकारी जिला पीठालय - राज
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

9

निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी नि
राजस्थान, जयपुर।